-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 22.08.2025

कार्याय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना बबेरु पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का किया गया भंडाफोड़। भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित तमंचे, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण किए गए बरामद। अभियुक्त पूर्व में भी अवैध शस्त्र निर्माण में जा चुका है जेल।**
- **अवैध तमंचों का निर्माण व बिक्री करने वाले एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अवैध शस्त्रों का निर्माण कर बांदा और आसपास के जनपदों में 05 से 06 हजार रुपये में उनकी की जाती थी बिक्री।**

विवरण- – पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों का निर्माण, संग्रहण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री सौरभ सिंह के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 21.08.2025 की शाम को थाना बबेरु पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का भांड़ाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। गौरतलब हो कि कल दिनांक 21.08.2025 को थाना बबेरु पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम निभौर के गड़रा नाला पार शहीदन डेरा के पास जंगल में एक व्यक्ति अवैध तंमचा व कारतूस के बना रहा है। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर घेराबन्दी करते हुए एक अभियुक्त को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित अवैध तमंचें, देशी कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए, तथा अभियुक्त की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से भी एक अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अवैध तमंचों का निर्माण कर आस-पास के क्षेत्रों सहित बांदा और आस-पास के जनपदों में भी 05 से 06 हजार रुपये में बिक्री करता है। पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में गहनता से जांच की जा रही है कि अभियुक्त द्वारा कहाँ-कहाँ और किन-किन लोगों को तमंचों की सप्लाई/बिक्री की गई है, तदानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। अभियुक्त पूर्व में भी अवैध शस्त्रों के निर्माण में जेल जा चुका है।

बरामदगी-

- 05 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 अवैध तमंचा 12 बोर
- 01 अर्द्धनिर्मित अवैध देशी तमंचा 315 बोर
- 02 अवैध जिन्दा कारतूस 12 बोर
- 01 अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 अवैध मिस कारतूस 315 बोर
- 01 अवैध खोखा कारतूस 315 बोर
- धौंकनी, छेनी, नोहाई, हथौड़ा छोटा/बड़ा, आरी, रेती स्प्रिंग, ब्लेड, बाट आदि सहित भारी मात्रा में अन्य शस्त्र बनाने के उपकरण

नोट- कुल 08 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा, 05 जिन्दा/मिस/खोखा कारतूस तथा भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामभजन निषाद पुत्र देवलाल निषाद निवासी तरसियन डेरा मजरा निभौर थाना बबेरु जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 348/2025 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरु जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री राजेन्द्र सिंह राजावत प्रभारी निरीक्षक बबेरु
2. उ0नि0 श्री कल्बे अब्बास खॉ
3. उ0नि0 श्री सैफ अहमद
4. म0उ0नि0 सुश्री निक्की पटेल
5. हे0का0 रजनीश पाण्डेय
6. का0 नकुल राय
7. का0 निर्मल सिहं

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रामभजन निषाद उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 187/09 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरु जनपद बाँदा।
2. मु0अ0सं0 290/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरु जनपद बाँदा।
3. मु0अ0सं0 291/15 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरु जनपद बाँदा।
4. मु0अ0स0 87/16 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरु जनपद बाँदा।